<u>न्यायालय सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, पुरवा उन्नाव।</u>

UPUN120034482022

विविध वाद सं0–135/2022

अपराध सं0–284/2021

थाना–बिहार, उन्नाव।

दिनांक–01.08.2026

निर्मला देवी बनाम राजन कुमार

पत्रावली पेश हुई। प्रस्तुत प्रकरण में विवेचक द्वारा अन्तिम आख्या सं0–51/2021 प्रेषित की गयी है। जिसके सम्बन्ध में वादिनी द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर वाद को समाप्त किये जाने की याचना की गयी है तथा अपना शपथपत्र दाखिल किया गया है। जिसमें यह कहा गया है कि पुलिस द्वारा लगायी गयी अन्तिम रिपोर्ट में उसे कोई आपत्ति नहीं है। वह मुकदमा नहीं लड़ना चाहती है।

अतः वादिनी मुकदमा/आवेदिका के प्रार्थनापत्र में वर्णित कथनों एवं उसके शपथपत्र के आधार पर यह स्पष्ट है कि वादिनी मुकदमा को इस मामले में प्रस्तुत अन्तिम आख्या पर कोई आपत्ति नहीं प्रस्तुत करनी है। उक्त सम्बन्ध में **माननीय उच्च न्यायालय द्वारा याचिका अन्तर्गत धारा 482 दं0प्र0सं0 नं0 2520/2012 प्रदीप कुमार श्रीवास्तव व बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित आदेश दिनांकित 09.10.2013 तथा माननीय उच्च न्यायालय के परिपत्र सं0 2981/एफटीसी सेल/इलाहाबाद दिनांकित 01.03.2013** में दिये गये दिशा निर्देशों के दृष्टिगत एवं उपरोक्त विवेचित एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत तथा केस डायरी के सम्यक अवलोकन के उपरान्त इस प्रकरण में प्रस्तुत अन्तिम आख्या स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रकीर्ण वाद सं0–135/2022, मुकदमा अपराध सं0–284/2021 अन्तर्गत धारा 366,504,506 भा0दं0सं0, बिहार, जिला उन्नाव में मामले के विवेचक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम आख्या सं0 51/2021, स्वीकार की जाती है। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

न्यायिक मजिस्ट्रेट

पुरवा, उन्नाव।